



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 ज्येष्ठ 1943 (श10)
(सं0 पटना 524) पटना, बुधवार, 16 जून 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 जून 2021

एस० ओ० 106, दिनांक 16 जून 2021—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 197, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 957, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

- (i) पहले अनुच्छेद में, "31 मार्च" अंकों और शब्दों के स्थान पर "30 जून" अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (ii) पहले अनुच्छेद में, "1 अप्रैल" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 जुलाई" अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-11) 956)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

16 जून 2021

एस० ओ० 106, दिनांक 16 जून 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-11) 956)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 16th June 2021

S.O. 106. Dated 16th June 2021 In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 197, dated the 17th December, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 957, dated the 17th December, 2020, namely:—

In the said notification, —

- (i) in the first paragraph, for the figures, letters and words, “31st day of March”, the figures, letters and words “30th day of June”, shall be substituted;
- (ii) in the first paragraph, for the figures, letters and words, “01st day of April”, the figures, letters and words “1st day of July”, shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-11) 956)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 524-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>